न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 108 / 2018

1 हिंगलाल दान उम्र 55 वर्ष पुत्र मेहताबदान जाति चारण निवासी ढ़ाणी लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

अपीलांट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1 तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर प्रतिनिधि लैण्ड होल्डर राज्य सरकार।
2 जगुदार उम्र 60 वर्ष पुत्र मेहताबदान जाति चारण निवासी ढ़ाणी लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
3 समदरदान उम्र 46 वर्ष पुत्र मेहताबदान जाति चारण निवासी ढाणी लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांकित 21.05.2018 एस.डी.ओ. रामगढ़ शेखावाटी मुकदमा दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम दावा संख्या 16 / 2016 उनवानी जगुदान आदि बनाम तहसीलदार आदि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

उपस्थिति :

1. श्री राजकुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 16/2016 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी अपीलांट ने विचारण न्यायालय में भूमि खसरा नम्बर 61/2 वाके ग्राम ढाणी लावण्डा तहसील रामगढ़ शेखावाटी बाबत दावा उदघोषणा, राजस्व रिकार्ड में संशोधन प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने जवाब दावा प्राप्त कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत हुई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित कृषि भूमि वादीगण के पूर्वजों को ठिकाना सीकर से जरिये ताम्रपत्र के मिली हुई थी तथा ताम्रपत्र के द्वारा ग्राम लावण्डा की सम्पूर्ण भूमि वादीगण पूर्वजों को ठिकाना सीकर के द्वारा जरिये ताम्रपत्र के प्रदान कर दी गई। वादग्रस्त भूमि भी उसी जागीरी भूमि का भू—भाग है। संवत 2016 में जागीर रिज्यूम हो चुकी है, किन्तु जागिर के रिज्म्पसन के समय वादीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर काबिज थे तथा खसरा गिरदावरी संवत 2011 से लेकर 2019 तक वादीगण के पिता मेहताबदान का नाम दर्ज है तथा 8 बीघा भूमि वादीगण के पिता की काश्त कॉलम संख्या 16 में व कॉलम संख्या 6 में दर्ज की हुई थी। वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद एवं उनके जीवनकाल से ही वादग्रस्त भूमि को वादीगण काश्त करते आ रहे थे और आज भी वादीगण का

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

ही वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त है। इस वर्ष वादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर चौमासे की फसल बाजरा, गवार, मोठ आदि की काश्त की थी। इस प्रकार वादीगण वादग्रस्त भूमि पर लगातार साधिकार बतौर स्वामी काबिज चले आ रहे है। वादग्रस्त भूमि संवत 2016 में जागिरदारी के रिज्यूम हो जाने के बाद गलत रूप से भूमि का खाता मकबूजा सरकार के नाम दर्ज हो गया और इसमें चारागाह गलत रूप से दर्ज कर दी गई जिसका वादीगण के अधिकारों के विरूद्व प्रभावहीन है। मकबूजा सरकार के नाम खातेदारी गलत दर्ज है। अत अपील स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि तहसीलदार रामगढ़ से वर्तमान में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार वादपत्र में अंकित तथ्यों का राजस्व रिकार्ड ग्प्रम ढ़ाणी लावण्डा के साबिक खसरा नम्बर 61/2 रकबा 8 बीघा पुख्ता का हाल रिकार्ड भू–प्रबन्ध विभाग की तरफ से खसरा नम्बर 212 रकबा 2.02 है भूमि किस्म चारागाह दर्ज है। खसरा नम्बर 212 का कब्जा अधिकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है उक्त खसरा नम्बर चारागाह के खाते में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर का ताम्रपत्र के रूप में ठिकाना सीकर से प्राप्ति का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं है। संवत 2012 से आज दिनांक तक चारागाह के रूप में दर्ज है। वादी के पिता की मृत्यु अथवा उसके जीवनकाल में इस भूमि पर काश्त सम्बंधित इन्द्राज गिरदावरी संवत 2011 से 2018 तक की कैफियत में महताबदान दर्ज है। वर्तातान रिकार्ड के मुताबिक यह भूमि साबिक खसरा नम्बर 61/2 रकबा 8 बीघा का हाल खसरा नम्बर 212 रकबा 2.02 है चारागाह के रूप में दर्ज है। अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर संवत 2012 के आज तक विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में चारागाह दर्ज है। चूकिं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रवर्तन में आने से पूर्व ही विवादित आराजी चारागाह दर्ज है, अत उक्त विवादित आराजी में वादीगण को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
... अपील अधिकारी

उद्घोषित किया जाना सम्भव नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत स्पष्ट है कि " इस अधिनियम में या राज्य के किसी भी भाग मे तत्समय प्रवृत किसी भी अन्य विधि या अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी चारागाह भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदधृत नही होगी। इसलिए वादीगण का वाद चलने योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर